

२०/७/१६ पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आर्षदे हार ग्राम पंचायत  
 मुख्यालय लोडियाना पर पेश हुई। वादीया एवं उतिवादी स्वम  
 उपस्थित। इन्होंने वाद पर आगे कार्यवाही नहीं चलाने का निवेदन  
 किया व आदेशिका पर अंकित किया। उनकी पहचान संपन्न  
 ग्राम पंचायत लोडियाना ने कि है। निवेदन पक्षकारण स्वीकार  
 योग्य होते से स्वीकार किया जाता है। तथा वाद पर कार्यवाही  
 ड्रॉप करने के आदेश पारित किये जाते हैं। मिसल फैसल  
 शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद दफ्तर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी  
 मसूदा (अजमेर)

में शवा बोले  
 नहीं चालाना  
 चाहती हूँ

अ/लि/समना

अ/लि/लाइ

अ/म/५९५२

सरपंच  
 ग्राम पंचायत लोडियाना  
 मसूदा (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा ८८, १८८ राजस्थान  
 अधिनियम

वादी को ओर से सादर निवेदन है कि

